BOARD OF DEPARTMENTAL EXAMIANTION
DEPARTMENTAL EXAMINATION OF IAS/ HAS OFFICERS OF HIMACHAL PRADESH SESSION NOVEMBERE, 2009

PAPER-2 **(CRIMINAL CASE)**

Time Allowed: 3 Hours **Maximum Marks: 100**

Note:- 1) Attempt both the questions.
2) Question carry the marks indicated against each.

Q.No.1 Shri Shriram s/o Nikkuram lodged a report on 9th June, 2001, Annexure A, With the police station Sadar Bilaspur that on 7-6-2001, while coming back his Home at about 8.30 p.m., he saw Smt. Brahmi Devi standing near the water Bowari. She had laid the water pipe from the bowari to her fields and that pipe Entangled with Shriram's foot. He had told smt. Brahmi devi that there was Not enough water for drinking and she was irrigating the fields. On this smt. Brami devi started abusing him loudly. At the same time Sh. Bhangi and Narotam also reached the spot. Sh. Bhangi was carrying a danda (Stick) in his Hand, and started beating me with the danda, Sh. Narotam had also started Beating him with his fists and foot. They threw him on the ground with the Result he sustained injuries on his hand, head and back. His right eyes was Injured due to the fist blows. On my shouts Sh. Rajender singh, Subhash and My wife Tripta reached the spot and with great difficulty, they rescued me. Narotam and others while leaving had threatened to kill me and my family. Due to pain and injuries, he could not walk. On this, a report No- 8 dt. 9-6-2001 was registered at police station Bilaspur. And victim was sent for Medical examination to zonal hospital Bilaspur. On receipt of the medical Report, FIR no 161 dt. 9-6-2001 was registered at PS Sadar Bilaspur, Annexure B, After investigation, a challan was pur in the court against Bhangi And others under section 325/ 324/ 506/ 504 read with section 34 IPC. The Accused pleaded not guilty to the charges so framed and Prosecution Examined P.W.I. to P.W.9, Annexure C (Colly) and the statements of accused Were also recorded U/S 313 Cr.P.C. Annexure D (Colly). The accused did not Lead any defence witness. On the basis of evidences and exhibits, write the Judgement duly supported by reasons for the findings. **(50 Marks)**

Q.No.2 a) On the basis of an application preferred by one Shrimati Radha Devi, Incharge Police post, Suni after inquiring into the matter submitted information (B-1) under section 107/ 150 Cr.P.C. before Sub- Divisional Magistrate (Rural), Shimla. The police during enquiry recorded the statements of Sh. Narain Singh (B-2), Smt. Radha Devi (B-3) and Sh. Krishan Dutt (B-4).

On the basis of the aforesaid documents draw a notice under Section 111 Cr.P.C. against Sh.Roop Ram. **(15 Marks)**

b) In support of the aforesaid information, the Prosecution examined PW1 Smt. Radha Devi (B5), PW2, Sh.Narain Singh (B 6), PW3, Sh.Krishan Dutt (B7) And PW4 Sh.Ajeet Kumar, Chowki Incharge, Police Post, suni (B8) before The S.D.M. (Rural) Shimla. The Presiding officer also examined Sh.Roop Ram and his statement is recorded as (B9), but Sh.Roop Ram did not lead any Defence.

Write a detailed final order on the basis of the aforesaid record.

(25 Marks)

c) Can such proceedings be stopped at any stage of the inquiry, if so, under what Circumstances.

(10 Marks)

बअदालत जनाब एव. डी. एम. (आर) शिमला जिला शिमला
इस्तागस सरकार बजरिया राधा देवी पुत्री निक्का राम गाांव मौजा सेण डा. घर दुर्गापुर थाना ढ.ली जिला शिमला
बनामः श्री रूप राम पुत्र गुरसर जात ब्राहमण गॉव मौजा डटथगोग परगना बड.ा वल्र थाना ढ.ली जिला शिमला
इस्तगासा जेर धारा 107ध 150 सी. आर. पी. सी.

(B1)

श्रीमान जी,

संक्षिप्त हालात इस्तगासा हजा इस प्रकार से है कि श्रीमति राधा देवी फरीक अवल ने एक दरखास्त प्रबन्धक अधिकारी थाना ढ.ली जिसकी प्रतिलिपियां जनाब आरक्षी अधीक्षक महोदय व चौकी हजा पर दी है कि इसकी शादी हसव रीती रिवाज श्री रूप राम पुत्र गुरसरण निवासी इठयोग के साथ साल 1985 में हुई थी शादी के चार पांच माह बाद ही इनका आपस में झगड.ा मन मुटाव इस बारे होता रहां कि इसके पति बहुत ज्यादा शदाब पीता रहा थ और बिना बजह अथवा बिना कसूर के मार पीट करता था और घर से बाहर बुरी संगत में पड. गया था जिससे यह उसे रोकने की कोशिश करती थी, किन्तु वह उल्टा ही इसे मार पीट कर देता था। यह कई बार मार पीट से परेशान हो कर अपने मां– बा पके घर गांव सेण डाकखाना दुर्गापुर आती थी तो कुछ दिन के बाद इसके मां बाप इसे मना कर घर भेज देते थे । कई बार दो भले आदमीयों के सामने इसे पति को ऐसा बुरा व्यवहार करने के लिए समझााते थे परन्तु वह बाज न आया अतः यह करीब शादी के दो साल बाद जबकि इसकी एक लड. की इसकी काख से पैदा हुई उसके बाद इसे जान से मार देने की धमकियां देने लगा यह डर के मारे अपने माता पिता के घर आ गई इसके मां बाप कई बार इसे बुलाने व वार्ता करने के लिए खुद और आदमीयों को भेजते परन्तु वह उसे घर ले जाने नहीं आया जब वह घर रहती थी तो उसे रोटी से मुहताज रखता । 2–3 दिन तक भुखे ही रखता था इसके मां बाप ही इसे रोटी कपड.ा घर तक देते रहे परन्तु वह नहीं समझता था कि एक साल पहले उसने इसके बिना पूछे दूसरी शादी कर रखी है परन्तु इसके साथ उसने कोई फैसला न कर रखा है आजकल भी वह इसे जान से मारने की धमकीयां लोगों के पास दे रहा है और कह रहा है कि उसके पीछे गुन्डे लगाए जाएंगे और दुर्गापुर एरिया में कहीं भी अकेली मिलेगी, तो खत्म यानी जान से मार दी जाएगी इससे इब उससे हर समय जान का खतरा पैदा हो गया है इससे दुर्गापुर में माह बगाहे आना जाना पड.ता है कभी भी गुण्डों से जान से खत्म करवा सकता है उसकी दूसरी घरवाली भी उससे पूछती है कि जब पहले शादी हुई तो दूसरी क्यों करी है।

दरयाफत शिकायत पत्र राधा देवी को दरयाफत मन ए. एस. आई ने दरसरे मौका अमल में लाई है। दरयाफत वयानात गवाहन व हालात मौका से वाक्य ही राधा देवी मुस्तगीसा को रू॰ राम परीकदोयम से खतरा जान पैदा हो चुका है जो रूप राम दूसरी शादी कर लेने पर राधा देवी को हम हकूक से वचित रखने के लिए जानी नुकसान पहुचा सकता है अतः रू॰ राम से अन्देशा नुकसे अमल व खतरा जान फरीक अवल को पाया जा कर कलन्दरा जहां युध एस 107/ 150 सह. आर. पी. सी. वर खिलाफ रू॰ राम फरीकदायम मुरतव किया जा कर बरऐ समयत पेश अदालत हजूर है समायत इसतगासा फरमाया जा कर फरीकदोयम को माकूल धन राशी ने ख्लनी के लिए पाबन्द फरमाया जावे।

हस्ता–
ए.एस.आई

आई/सी.पी.पी.सुन्नी

तफसील कागजात कलन्दरा
[कलन्दरा हजा [2] कापी असल सिकायत पत्र [3] वानात– गवाहन [4] सजा सलिप

फैडरिस्त गवाहन

(1) श्रीमति राधा देवी पत्नी श्री रूप राम गांव मौजा सेवन थाना ढ.ली
(2) श्री नारायण सिंह पुत्र हरी नन्द गांव सेवन थाना ढ.ली
(3) श्री कृष्ण दत्त पुत्र श्री देवी दत्त गांव सेवन थाना ढ.ली
(4) ए. एस. आई तुलसी राम आई/ सी.पी. सी सुन्नी

व्यान अजाने श्री नारायण सिंह पुत्र हरी नन्द राजपुत गांव मौजा सेवन परगना कुशी थाना ढ.ली जिला शिमला उमर 24 साल

व्यान किया है कि मैं मौजा सेवन का रहने वाला हुं। राधा देवी पुत्री निकाराम शर्मा मेरे गांव की रहने वाली है। उसकी शादी अरसा करीब पांच साल पहले रूप राम गांव डठयोग से के साथ धार्मिक रसमा रिवाज के साथ हुई है। इनकी करीब 4–5 महीने शादी के बाद आपस में अनवन हो गई थी तो राधा देवी डठयोग जाती थी तो रूप राम इसको मारता पीटता था और रोटी कपड.ा नहीं देता था और राधा देवी अपने मायके में आ जाती थी और राधा देवी अब अपने मायके सेवन में ही रहती है। रूप राम करीब एक साल पहले सेवन में आया था तो उसने राधा देवी से लड.ाई झगड.ा करके मारने की धमकी देता था और उसकी गाहे बगाहे दुर्गापुर जुबड. आता रहता है और कहता है कि इसकी जिन्दा नहीं छोड.ुंगा या गुण्डे लगा दुंगा। राधा देवी को अपने निजी काम से शिमला वगैरा जाना पड.ता है और रूप राम एक झगड.ालु व खुंखार व सीनाजोर व्यक्ति है इसलिए इसको नेक चलनी के लिए पाबन्द किया जाना जरूरी है।

हस्ता/–
गवाह

हस्ता/– ए एस आई

वयान अजाने श्रीमति राधा देवी पुत्री श्री निका राम शर्मा गांव सेवन परगना कोशी थाना ढ.ली जिला शिमला उमर 22 साल

व्यान किया कि मैं सेवन की रहने वाली हुं मेरी शादी धार्मिक रसमों रिवाज के साथ रूप राम गांव डठयोग से हुंई थी अतसा करीब 2– 2.30 साल से उसने मुझो रोटी व कपड.ा देने से इन्कार कर दिया और मैं अपने मायके रहना शुरू कर दिया। रूप राम के बदोलत मेरी कोख से एक लड.की पैदा हुई और मैं अपने मायके रहती हुं रूप राम अब भी दुर्गापुर व जुबड. में आता रहता है। और धमकियां देता रहता है और कहता है कि मैं इसको जिन्दा नहीं छोड.ूंगा मुझे निजि काम से शिमला बगैरा जाना पड.ता है मुझे इस पति से जानी खतरा पैदा हो गया है कि मुझे शिमला दुर्गापूर या कहीं भी गुण्डों से मरवा दे मैंने इसके बारे दरखास्त थाना अधिकारी ढ.ली व प्रभारी चौकी सुनी को एक कापी पुलिस अधीक्षक शिमला को भी दे रखी है।

हस्ता/– गवाह

हस्ता/– ए. एस. आई.
व्यान अजाने कृष्ण दत्त पुत्र देवी दत्त गाांव मौजा परगना कोशी थाना ढ.ली जिला शिमला उमर 30 साल

व्यान किया है कि मैं सेवन का रहने वाला हुं राधा देवी मेरे गांव की रहने वाली है उसकी शादी अरसा 5 साल पहले रूप गांव डठयोग के साथ हुई थी। रूपराम राधा देवी को नाजायज मार पीट व रोटी कपड.ा न देने से तंग कर रहा था इस समय राधा देवी अपने मां बा पके घर सेवन में रहती है। और रूपराम राधा देवी को धमकियां देता रहता है कि राधा देवी को जिन्दा नहीं छोड.ंगाा। रूप राम खुंखार व सीना जोर व्यक्ति है जो कभी भी राधा देवी को खत्म कर सकता है क्योंकि वह चाहता ही है कि इसको खत्म किया जाए ताकि मेरी जायदाद का हिस्सा न मांग सके।

हस्ता/– गवाह

हस्ता/– ए. एस. आई.

स्टेट वी/ एस रूपराम

पी. डब्लयुः– व्यान किया श्रीमति राधा देवी पत्नी श्री श्रय राम निवासी डठयोग तैहसील सुन्नी जिला शिमला आयुः 22 वर्ष

सपथ मिति [8.1.91

वयान किया कि रूप राम के साथ मेरह शादी हुई थी। शादी के बाद से रूप राम मुझे शराब पी कर मार पीट करता था और दो – दो तीन– तीन दिन तक भुखी रखता था और कपडे. भ न देता था। इसने कई बार मुझे आधी रात को घर से बाहर निकाला। रूपराम ने मेरे बगैर पूछे एक लड.की सुभद्रा देवी पुत्री लच्छु राम कांप कापती से शादी कर ली है जिसमें पुरोहित श्री सीता राम शिलडु का था। शादी करने के बाद मेरा पति रूप राम मुझे जान से मारने की धमकी देता है और लोगों के पास भी जान से मारने की

धमकी का सन्देशा पहुंचाता है। एक बार नराण सिंह के पास संदेशा भेजा था। और दूसरी बार कृष्ण दत्त के पास जान से मारने की धमकी दी। मेरी एक छोटी बच्ची है जो चार वर्ष की है मुझे व मेरी बच्ची को लगातार जान का खतरा है। एक्स. पी–1 मेरी अर्जी है जो मैंने एस. पी. शिमला को दी थी। मेरी जान माल की रक्षा की जावे और प्रतिवादी को अच्छे व्यवहार के लिए जमान व मुचलका लेकर पाबन्द किया जावे। प्रतिवादी रूप राम बहुत खौफनाक किस्म का आदमी है। इससे मुझे बचाया जावे। रूप राम के खिलाफ मेरी एक दरखास्त खर्चे की सी. जे. एम. के पास दे रखी है। जिसकी तारीख 16.3.91 की है।

XXXXXXXX

मेरी शादी सन 1985 में हुई थी। यह बात ठीक है कि मैं अपने मायके में 4–5 साल से रह रही हुं। जब मेरे ससुर की मृत्यु हुई तो मैं घर पर नहीं गई। मेरे एक लड.की भी है। मैं अनपढ. हुं। थोड.ा बहुत लिखना पढ.ना जानती हुं। यह दरखास्त मैंने किसी और आदमी से लिखवाई है जो इस दरखास्त में लिखा है वह मैंने उपर व्यान कर दिया है। इस बारे पूछताछ हुई थी। फिर कागज यहां भेज दिये थे। यह मुझे याद नहीं कि एक्स. पी– 1 के बाद हुई कि उसके बाद। मुझे मालुम है कि हमारे मुकदमों की तफतीश की छानबीन के बारे आए थे। मैंने थाना में रिर्पोट की थी इसलिए ए. एस. आई साहब आए थे। मुझे ये याद नहीं क जबानी की थी कि लिख कर की थी। ये बात ठीक है कि नम्बरदार व पंचायत मेम्बर कौन है। ऑब्जैक्टिड

मारपीट के बादे सारे गांव वालों को मैंने बताया है। मुझे नाम याद नहीं एक नाम मुझे याद है उनका नाम सन्तराम है उनके पिता का नाम माठु राम है। यह बात ठीक है कि मैं पिछले 4–5 सालों से प्रतिवादी रूप राम के साथ नहीं रही उससे पहले मैं 2 ½ साल रूप राम के साथ रही और जब मेरे लड.की हुई तो मुझे इसने घर से निकाल दिया यह रोज शराब पी कर आता है और शराब पीकर मुझ से दहेज मांगता है। यह गलत है कि ये सब झुठे इलजाम लगाए हैं। यह बात ठीक है कि मैंने प्रतिवादी रूपराम को नोटिस दिए और एक चिठठी दह। यह गलत है कि प्रधान व रूप राम मुझे कभी बुलाने आये मोहन लाल व प्रेम चन्द मुझे बुलाने आये तो रूप राम ने जब मुझे वहां मारा तो मैंने जाने से इन्कार कर दिया। यह गलत है कि मै झुठा व्यान कर रही हुॅं। यह दस्तखत मेरे जो दरखास्त पर किए है।

हस्ता/–
एस. डी. एम

आर ओ एन्ड ए. सी हस्ता/– राधा देवी
पी डब्लयु:2 व्यान श्री नारायण सिंह पुत्र हरी नन्द निवासी सेवन तै. व जिला शिमला।
सशप्त मिति 18.1.91

(B-6) व्यान किया है कि मैं रूप राम को जानता हुं। रूप राम ने मेरे सामने राधा देवी को जान से मारने की धमकियां दी। रूप राम ने कहा कि मैंने दूसरी शादी कर रखी है और मैं राधा देवाी को जीता नहीं छोडुंगा। रूप राम ने ये धमकी भरे सन्देश राधा देवी को पहुंचाने के बारे कई बाद दिए। राधा देवी को रूप राम से जान का खतरा बना हुआ है। राधा देवी की रक्षा जान माल की जावे। क्योंकि रूप राम खौफनाम किस्म का आदमी है राधा देवी को रूप राम ने कई बार मारा पीटा व परेशान किया और खर्चा नहीं देता। 24 घन्टे इससे खतरा है।

(B-6) राधा देवी मेरे गांव के नाते बहन लगती है। यह बात ठीक है कि राधा देवी की शादी 5–6 वर्ष पहले हुई थी। राधा देवी को मायके में रहते हुए 3–4 वर्ष हुए है। मुझे मालूम है कि उसके बाद राधा देवी रूप राम के घर न शादी व गम्मी में कभी गई है। यह ठीक है कि प्रतिवादी रूप राम हमारे गांव कभी नहीं आते है।मुझे तारीख का पता नहीं कि कब रूप राम ने मेरे पास राधा देवी के लिए सन्देशा दिया है। मुझे कोई इलम नहीं राधा देवी को बुलाने के लिए रूप राम ने कोई प्रधान आदि आया हो। मुझे तारीख व समय याद नहीं कि रूप राम ने राधा देवी को मारा है जब राधा देवी को रूपराम 3 वर्ष पहले जब मारा था तो राम स्वरूप कृष्ण दत्त तथा गांव के बहुत लोग थे। मैंने उसके बारे काई किसी को रिपोर्ट नहीं की थी जो मैंने उपर कहा है वह सब ठीक है। यह बात गलत है कि गलत व्यान कर रहा हुं। यह भी गलत है कि मैं या व्यान बहन के नाते दे रहा हुं। यह गलत है कि राधा देवी के साथ ज्यादती नहीं हो रही है।

हस्ता/– एस. डी. एम

आर. ओ एन्ड ए. सी. हस्ता/– नरायण सिंह

पी. डब्लयु : 3 व्यान कृष्ण दत्त पुत्र देवी दत्त निवासी ग्राम सेवन तह. सुनी जिला शिमला आयु 28 वर्ष सशप्त मिति

व्यान किया है कि मैं फरोफैन मुकदमा को जानता हुं राधा देवी मेरे गांव की है मुझे रूप राम ने ये बताया था कि राधा देवी के इलावा एक शुभद्रा से शादी कर रखी है और मेरे पास यह संदेशा रूप राम ने बताया था कि मुझे राधा देवी की जरूरत न है और मैं राधा देवी को जान से खत्म कर दूंगा। ऐसी धमकियां रूप राम ने मेरे पास कई बार दी और मैंने कहा कि राधा देवी बात से बता देता कि रूप राम तुझे जान से खत्म कर देगा। रूप राम राधा देवी को कोई खर्चा आदि नहीं देता है और शराब पीता है। रूप राम एक खौफनाक किस्म का आदमी है और इसके हाथों से राधा देवी की जान व माल की हिफाजत की जावे। रूपराम को अच्छी चाल व चलन के लिए पाबन्द किया जावे। मेरा पुलिस में व्यान हुआ था ये पुलिस वालों ने गाांव में लिखा था। लिहाजा रूप राम को पाबन्द किया जावे।

Xxxx

यह बात ठीक है कि राधा देवी की शादी 5–6 वर्ष पहले हुई थी। यह ठीक है कि राधा देवी 4 वर्ष से मायके में रह रही है। राधा देवी गांव के नाते मेरी बहन लगती है। मैं राजपूत हॅं। राधा देवी ब्राहम्ण जाति से सम्बन्ध रखती है। मेरे सामने राधा देवी को बुलाने काई नहीं आया। मुझे मालुम नहीं कि राधा देवी अपने ससुर की मृत्यु के दौरान मायके गई थी। मैं रूप राम को तब से जानता हॅं जब से राधा देवी की शादी इसके साथ हुई थी। रूप राम मुझे दो तीन महीने दुर्गापुर में मिला था। मैं अकेला था। मैं दुर्गापुर जा रहा था मैंनें ये बात पुलिस को बता दी थी। मुझे पता नहीं कि इसमें क्या लिखा है।मुझे व्यान पढ.ाया था। जो मैंने पुलिस में दिया था। मैंने ये बात पुलिस को न बताया था। मुझे मालुम नहीं कि रू राम परवाणु में नौकरी करता था। यह गलत है कि मैं गलत व्यानी कर रहा हुॅं।

हस्ता/– एस. डी. एम.

आर ओ एन्ड ए सी हस्ता/– कृष्ण दत्त

पी डब्लयु:4 व्यान श्री अजीत कुमार चौकी इंर्चाज सुनी। मिति 18.1.91

व्यान किया है कि मैं बतौर ए. एस. आई5.6.90 से चौकी इंर्चाज हुं। मैं 24.8.90 को बराए छानबीन एक्स पी.–1 मौका पर गया था। मौका पर गवाह राधा देवी, कृष्ण दत्त व नरायण सिंह के व्यान कलम वद्ध किए। तफतीश व व्यान गवाहों से पाया गया कि यह हादसा नुकसे अमन का है। इस के बाद कलन्दरा मेरा तैयार करदा है जो पेश अदालत है।

Xxxx

(B-8) यह ठीक है कि राधा देवी दौराने तफतीश माइके में थह। यह बात ठीक है कि इसकी शादी 5–6 वर्ष पहले प्रतिवादी के साथ हुई है। रूप राम गांव डठयोग में ही रहता है। मैं गांव डठयोग नहीं गया और न इस बार कोई पूछताछ की है। मैं पहली बार इस गांव गया था। मुझे मालुम नहीं इससे पहले कोई ए एस आई इस तफतीश बारे गया है। यह गलत है कि व्यान मैंने अपनी मर्जी से लिखे हैं बल्कि मौका के गवाहान के अनुसार तफतीश की है। एक्स पी–1 किस ने लिखी है मुझे इस बारे मालुम नहीं है।

हस्ता/– एस डी एम

आर ओ एन्ड ए सी हस्ता/– अजीत कुमार

सरकार बतनाम रूप राम

व्यान श्री श्रप राम पुत्र गुरसरन अम्र 32 वर्ष जेर धारा 313 सी आर पी सी

बिला सपथ

प्रश्न 1 क्या आपने शहादत इस्तासा सुन व समझ लिया है।

उत्तर जी हॉ

प्रश्न 2 शहादत इस्तगासा में आपके खिलाफ पाय गया कि साल 1985 में तुम्हारी शादी श्रीमति राधा देवी मुस्तगीसा के साथ हुई और तभी से तुम शराब पी कर मुस्तगीसा से मारपीट करते हो जिससे राधा देवी को जान से खत्म होने का अन्देशा है इस बारे आपने क्या कहना है।

उत्तर यह गलत है।

प्रश्न 3 शहादत इस्तगासा से यह भी पाया जाता है कि तुमने दूसरी शादी कर ली है और तुम मुस्तगीसा को तथा उसकी व तुम्हारी लड.की को खाना वगैरा भी नहीं देते जिसका कारण मुस्तगीसा अपने मां बा पके घ बच्ची को लेकर चली गई इस बारे क्या कहना है।
उत्तर यह गलत है।

प्रश्न 4 शहादत से आपके खिलाफ यह भी पाया जाता है कि तुमने मुस्तगीसा को तंग करने व मारने के लिए गुण्डे छोडे. हुए हैं जिस कारण वह निजि काम के लिए दुर्गापुर भी नहीं आ सकती और तुमने खुद भी उसे जान से मारने की धमकी दी हुई है इस बारे में क्या कहना है।

उत्तर यह गलत है

प्रश्न 5 शहादत से यह भी पाया जाता है कि तुमने मुसतगीसा की जान को खतरा पैदा किया है जिस बारे तुम्हारे खिलाफ दरखास्त पुलिस को दी है इस बारे क्या कहना है।

उत्तर पत न है। झुठी दरखास्ते दी है।

प्रश्न 6 आपके खिलाफ गवाहों ने क्यों शहादत दी।

उत्तर झुठी गवाही दी है।

प्रश्न 7 क्या आप शहादत सफाई देंगे।
उत्तर जी नहीं

प्रश्न 8 कुछ और कहना है
उत्तर मैं बेकसूर हुं

आर ओ ए सी हस्ता/– फरीकदोयम

....